न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/3009/2002/भरतपुर

1– निर्भयसिंह पुत्र रतनसिंह जाति गुर्जर निवासी नगला हरसुख तह0 बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– राजस्थान सरकार।
2– रामखिलाड़ी पुत्र हरवंश (तर्क)
3– हरमन पुत्र रजी उर्फ फिरंगी
समस्त जाति गुजरान निवासी भांड का नगला पीपरा तह0 बयाना जिला भरतपुर।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
कमला अलारिया, सदस्य
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री गौरव दवे, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री एस0पी0 ओझा, राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांकः 13.04.2026

1– हस्तगत् अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–224 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–03–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 3 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी, बयाना के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें आराजी खसरा नम्बर 225 रकबा 46 बीघा 8 बिस्वा में से 21 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर

खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गई, यह कहते हुए कि उक्त विवादित भूमि उनके कब्जे काश्त में है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बयाना द्वारा दिनांक 30-09-1994 को वाद स्वीकार करते हुए डिक्री पारित कर दी गई। उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील के विचाराधीन रहते हुए अपीलार्थी द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के अंतर्गत स्वयं को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अपील स्वीकार कर ली गई तथा उपखण्ड अधिकारी, बयाना द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मंडल में प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20-09-1994 तथा 26-03-2002 न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से निरस्तीकरण योग्य है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी विवादित आराजी पर संवत 2012 से पूर्व से निरंतर काबिज काश्तकार चला आ रहा है तथा उक्त तथ्य के समर्थन में सम्पूर्ण अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त अभिलेखों का समुचित विवेचन नहीं किया गया, जो कि गंभीर विधिक त्रुटि है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 द्वारा मूल वाद प्रस्तुत करते समय अपीलार्थी को आवश्यक एवं उचित पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण एक ही परिवार से संबंधित हैं तथा विवादित आराजी के आधे भाग पर अपीलार्थी तथा शेष आधे भाग पर प्रत्यर्थीगण काबिज हैं। इस प्रकार अपीलार्थी मुकदमा हाजा में आवश्यक पक्षकार था, जिसे पक्षकार नहीं बनाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी जो कि हितबद्ध पक्षकार है, को सुने बिना ही निर्णय पारित किया जाना विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी का विवादित भूमि पर दीर्घकालीन कब्जा एवं काश्तकारी सिद्ध होने से उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी अनदेखी कर दिया गया निर्णय अवैध एवं शून्य है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को वाद में आवश्यक पक्षकार के रूप में

सम्मिलित करने का आदेश पारित किया जाये तथा उसे अपना पक्ष एवं अधिकार सिद्ध करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाये। साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20-09-1994 एवं 26-03-2002 को निरस्त किये जाने की कृपा की जाये।

4. जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यहीन, निराधार एवं विधि विरुद्ध है, अतः निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 3 विवादित आराजी पर वास्तविक काबिज काश्तकार नहीं थे, एवं उनके द्वारा प्रस्तुत वाद में तथ्यों का सही प्रतिपादन नहीं किया गया था। इसी कारण राज्य सरकार द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी ने उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों का सम्यक मूल्यांकन करते हुए उपखण्ड अधिकारी का निर्णय निरस्त किया, जो पूर्णतः न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के अंतर्गत स्वयं को पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न है, वह प्रार्थना पत्र विधि के अनुरूप नहीं था, क्योंकि अपीलार्थी का विवादित भूमि से कोई वैधानिक एवं प्रत्यक्ष सरोकार सिद्ध नहीं होता है। अपीलार्थी स्वयं को अनावश्यक रूप से वाद में सम्मिलित कर कार्यवाही को जटिल एवं विलंबित करना चाहता है। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का खारिज किया जाना पूर्णतः उचित एवं विधिसम्मत है। अपीलार्थी द्वारा कथित कब्जा एवं खातेदारी अधिकार का कोई विश्वसनीय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। मात्र कथन के आधार पर न तो कब्जा सिद्ध होता है और न ही खातेदारी अधिकार उत्पन्न होते हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

5- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

6- अपीलार्थी निर्भय सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया। अभिलेख एवं पत्रावली के सम्यक् परीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि मूल वाद में प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 3 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी, बयाना के समक्ष वाद प्रस्तुत कर विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार की प्रार्थना की गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए दिनांक 30-09-1994 को डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील के

विचाराधीन रहते हुए अपीलार्थी निर्भय सिंह ने आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के अंतर्गत स्वयं को आवश्यक पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

7– अभिलेख के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 225/462 पर अपने कब्जे का दावा किया गया है, वह अभिलेखों में विधिवत् अस्तित्व में पाया नहीं गया तथा न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथित कब्जे के समर्थन में कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी का विवादित भूमि से प्रत्यक्ष एवं आवश्यक हित सिद्ध नहीं होता है। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 26–02–2002 द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के अंतर्गत अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि अथवा अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप, अपीलार्थी निर्भय सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील निराधार एवं अप्रासंगिक पाई जाने से खारिज योग्य है।

8– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–03–2002 को यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(कमला अलारिया)
सदस्य